इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 613] भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 16, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2022

क्र. CT-8-0004-2022-Sec-1-पांच-(CT) (68).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, शीर्षक अनुदेश के अधीन पैरा 7 में,—

(क) शब्दों, अक्षरों और अंकों "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच प्ररूप जीएसटीआर-3ख में" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंकों "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में 30 नवंबर, 2022 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) सारणी में, दूसरे स्तंभ में,—

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंकों "अप्रैल, 2022 सितंबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर-1" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंकों "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के, 30 नवंबर, 2022 तक फाइल किए गए प्ररुप जीएसटीआर-1"को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) क्रम संख्या 12 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंकों "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंकों "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंकों ''अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए'' के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंकों ''अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;.

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 15 नवम्बर, 2022 से प्रवृत्त माने जावेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2022

क्र. CT-8-0004-2022-Sec-1-पांच-(CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0004-2022-Sec-1-पांच-(CT) (68), दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 7th December 2022

No. CT-8-0004-2022-Sec-1-V-(CT) (68).—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax, Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby further amends the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

AMENDMENTS

In the said Rules, in FORM GSTR-9, under the heading Instructions, in paragraph 7,—

(A) for the figures, letters and words "between April, 2022 to September, 2022", the figures, letters and words "of April, 2022 to October, 2022 filed upto 30th November, 2022" shall be substituted;

(B) in the Table, in second column,—

(I) against serial numbers 10 & 11, for the figures and words "April, 2022 to September, 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 filed upto 30th November, 2022" shall be substituted;

(II) against serial number 12, for the figures and words "April, 2022 to September, 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 upto 30th November, 2022" shall be substituted;

(III) against serial number 13, for the figures and words "April, 2022 to September, 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 upto 30th November, 2022" shall be substituted;

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 15th day of November, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.